## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक, कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।



पत्रांकः पूर्विश्वित / सम्बर्ग / 2022 / (2.299) दिनांक : 02/03/22

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बद्धं समस्त महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर ।

विषय-शिक्षण संस्थाओं के भवन / परिसर में विवाह समारोह एवं कोचिंग सेन्टर आदि संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—7500/2020 में पारित आदेश दिनांक—03.03.2020 का कियात्मक अंश निम्नवत् है:—

"As an interim measure I direct to the respondents and all the District magistrates of all the Districts of U.P. to restrain all educational Institutions to allow anyone to use the property of the instututions for any private purpose. No marriage function of commercial activities to be organized on the land and building of the Schools/Colleges/Institutions. This order, however, will not come in the way of using the land exclusively for the purpose of academic and sport activities of the schools and the colleges."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक—03.03.2020 के अनुपालन में मा० कुलपित महोदया के आदेश दिनांक—21.02.2022 के कम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के भवन/परिसर का उपयोग शिक्षण कार्य एवं सहगामी कियाकलाप यथा विद्यार्थियों के खेल—कूद तथा व्यक्तित्व विकास आदि से संबंधित कार्यक्रम के लिए ही संचालित किये जाय।शिक्षण संस्थानों में निजी उपयोग एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित न की जाय।

अतः उपरोक्त आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय, जिससे मा० उच्च न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के आदेश दिनांक-21.02.2022 के कम में सूचनार्थ।

2. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करें।

3. श्री रणविजय सिंह, विश्वविद्यालय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9 0 1 5 72 0 1 5 72